

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र आवाज कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को भेजने से ही किया जाने व कि किसी अन्य पत्राचारों को भेजने से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र आवाज भेजा तो उसे पत्र बन्धक एवं विलम्ब आदेश प्रेषित नहीं किया जायेगा।



आण : कुलसचिव
दूरभाष : (0751) 2241806
(0751) 2442929
फैक्स : (0751) 2241768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2012/6060

दिनांक: 13/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संगम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेस, ग्वालियर (0751-3202428) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संघालित बी.एच-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थावी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महादेव/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिपति, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राध्यापिका, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- (3) डॉ. पी.के. शर्मा, प्रिन्सिपल, अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27(10) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सुझाव, प्रसंगिक अंश, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक

क संकेत, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुसंधान/अनुसंधान प्रमाण-पत्र, भवन, कक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आवृत्तित्व तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति का प्रमाण पत्र के साथ प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्तरों की विस्तृतियों का प्रमाण एवं लेख आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अर्पित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थावी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्बण्ड जमा करके नवीन समिति गठित की जावेगी। जितने 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना एच.ए. को प्रवेश देना अवैध है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की उत्सुच्छिती से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को पी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति को संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करवाए। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, उत्तरप्रदेश भवन, गौपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)